

**Awareness Camp at
Spillo & Nako
(25.7.2024)**



Awareness Program held on 25-7-2024 by the Hon'ble Chairman of HPBOCW Welfare Board at Gram Panchayat Spillo and BRO at Nako, in District Kinnaur

Press Note*

Date: 25-07-2024

In an effort to enhance awareness about the social welfare schemes provided by the Himachal Pradesh Building & Other Construction Workers Welfare Board, Shri Nardev Singh Kanwar, the Honorable Chairman of the Board, visited Spillo Gram Panchayat and attended the gram sabha meeting in district Kinnaur today. He received a grand welcome from the representatives of Gram Panchayat, led by Shri Moti Chander Jee, Pradhan Gram Panchayat Spillo, Shri Vijay Paul, Vice Pradhan, Shri Padam Chand, BDC Member, Shri Gian Chand, Ward Member, and Smt. Inder Vakti, Secretary Gram Panchayat Spillo. The district team was headed by the Labour Welfare Officer of district Kinnaur.

Shri Nardev Singh Kanwar was accompanied by notable figures including Shri Pratap Negi, Secretary INC, Shri Vikram Sharma, BOD Director of HP State Civil Supplies Corporation, Shri Naresh Chauhan, ACF BOCW, and Shri Moti Chander, Pradhan of Gram Panchayat Spillo. The general public and representatives of the local Gram Panchayat, totaling around 70 individuals, were briefed about the ongoing programs and schemes offered to the beneficiaries of the Building and Construction Welfare Board.

While addressing the gathering, Shri Nardev Singh Kanwar detailed the 13 different social welfare schemes being implemented by the Board under the capable leadership of the Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh. He urged local representatives and people from all political backgrounds to spread awareness about these schemes, emphasizing their aim to provide benefits to the needy and eligible construction workers engaged in various construction activities.

During the awareness session, Shri Kanwar emphasized the importance of initiating adequate efforts to disseminate the vision and mission of the Building and Other Construction Workers Welfare Board. He assured all possible support to the beneficiaries of the Board. Shri Kanwar also engaged in one-on-one interactions with the local people, listened to their problems, and assured them that all genuine issues would be resolved in the interest of the construction workers. He highlighted that it is also a priority of the Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh to increase outreach to the genuine and eligible beneficiaries, ensuring that no one is left behind.

Furthermore, Shri Kanwar expressed his commitment to being on the ground to identify and resolve the common problems faced by construction workers. A subsequent campaign was organized for the workers engaged in the Border Road Organization (BRO) at Nako, where the Chairman interacted with the workers and listened to their employment-related issues. He appealed to the management of BRO and the laborers to voice their concerns for the betterment of construction workers and their dependents, assuring them of timely resolutions.

In conclusion, Shri Nardev Singh Kanwar's visit to Spillo Gram Panchayat and his engagement with the local community and construction workers underscore the Board's dedication to addressing the needs and concerns of its beneficiaries, ensuring that the social welfare schemes reach those who need them most.

प्रेस नोट

दिनांक: 25-07-2024

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, माननीय बोर्ड अध्यक्ष श्री नरदेव सिंह कंवर ने आज जिला किन्नौर के स्पिलो ग्राम पंचायत का दौरा किया और ग्राम सभा बैठक में भाग लिया। उनका स्वागत ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया, जिसमें प्रधान ग्राम पंचायत स्पिलो के श्री मोती चंदर जी, उप प्रधान श्री विजय पॉल, बीडीसी सदस्य श्री पदम चंद, वार्ड सदस्य श्री ज्ञान चंद और ग्राम पंचायत स्पिलो की सचिव श्रीमती इंदर वक्ति शामिल थे। जिला टीम का नेतृत्व जिला किन्नौर के श्रम कल्याण अधिकारी ने किया।

श्री कंवर के साथ प्रमुख व्यक्ति भी थे, जिनमें सचिव आईएनसी श्री प्रताप नेगी, एचपी स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के बीओडी निदेशक श्री विक्रम शर्मा, एसीएफ बीओसीडब्ल्यू श्री नरेश चौहान और ग्राम पंचायत स्पिलो के प्रधान श्री मोती चंदर शामिल थे। लगभग 70 लोगों की संख्या में उपस्थित सामान्य जनता और स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

सभा को संबोधित करते हुए, नरदेव सिंह कंवर ने बोर्ड द्वारा माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के सक्षम नेतृत्व में कार्यान्वित की जा रही 13 विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधियों और सभी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों से इन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया, ताकि निर्माण गतिविधियों में लगे जरूरतमंद और पात्र श्रमिकों को लाभ मिल सके।

जागरूकता सत्र के दौरान, श्री कंवर ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के दृष्टिकोण और मिशन को फैलाने के लिए पर्याप्त प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर

दिया। उन्होंने बोर्ड के लाभार्थियों को हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया। श्री कंवर ने आम लोगों के साथ एक-एक करके बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनीं और सभी वास्तविक मुद्दों को निर्माण श्रमिकों के हित में हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता भी है कि वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी पीछे न रहे।

इसके अलावा, श्री कंवर ने निर्माण श्रमिकों की सामान्य समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए मैदान में रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में लगे श्रमिकों के लिए नक़्को में एक अभियान आयोजित किया गया, जहां अध्यक्ष ने श्रमिकों के साथ बातचीत की और उनकी रोजगार संबंधित समस्याओं को सुना। उन्होंने बीआरओ प्रबंधन और श्रमिकों से निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए मुद्दे उठाने की अपील की और समय पर समाधान का आश्वासन दिया।

अंत में, श्री नरदेव सिंह कंवर की यात्रा और स्थानीय समुदाय एवं निर्माण श्रमिकों के साथ उनकी बातचीत बोर्ड की उन लाभार्थियों की जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामाजिक कल्याण योजनाएं उन तक पहुंचें जिनकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है।

चिकित्सा उपचार के लिए 50 हजार से 5 लाख तक की राशि का प्रावधान : नर देव सिंह कंवर

संतोष शर्मा। रामपुर बुशहर

हिमाचल प्रदेश भवन एवं सस्त्रिमाण कामगार कल्याण बोर्ड और जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत स्मोली व किन्नौर जिले के दूर-दराज क्षेत्र ग्राम पंचायत नाको में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य विभाग द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जन मानस तक पहुंचाना है। जागरूकता शिविर कि अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश भवन एवं सस्त्रिमाण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में बोर्ड द्वारा अपने पंजीकृत कामगारों के जीवन स्तर को सरल व सुखमय बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य एवं सस्त्रिमाण कामगार



कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं जो भवन, मार्ग, से क, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बो नियंत्रण, टेलीफोन लाइनों, संचार माध्यमों व अन्य कार्य में अपनी सेवाएं किसी भी रूप में दे रहे हैं। नर देव सिंह कंवर ने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सस्त्रिमाण कार्य में कार्यरत श्रमिकों

की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है तथा पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में काम किया होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। आश्रितों को गंभीर बीमारी पर उनके चिकित्सा उपचार के लिए 50 हजार से 5 लाख तक का चिकित्सा सहायता व पंजीकृत सदस्य की मृत्यु होने पर नाम निर्देशित/आश्रितों को 2 लाख से 4 लाख रुपये तथा उनके अंतिम संस्कार के लिए 20 हजार रुपये तक की सहायता राशि का

प्रावधान है। पंजीकृत कामगारों के बेटी जन्म उपहार योजना के तहत पंजीकृत कामगार की दो बेटी के जन्म पर 51 हजार रुपये की सहायता राशि का भी प्रावधान है। राज्य सरकार हर वर्ग के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है व उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला किन्नौर में श्रमिकों के हितों में मिलने वाले लाभों के बारे में उन्हें अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों से वाचित न रहना पड़े। जागरूकता शिविर में ग्राम पंचायत स्मोली में 70 ग्रामीणों व नाको में स्थित सोमा सड़क संगठन के 125 श्रमिकों ने भाग लिया तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं सस्त्रिमाण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।



नाको में जागरूकता शिविर में भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ग्रामीणों को जागरूक करते हुए। संवाद



पंजीकृत कामगारों को उपचार के लिए पांच लाख का प्रावधान

सांगला (किन्नौर)। हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड और जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर के संयुक्त तत्वाधान में स्पीलो और नाको पंचायत में जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में विभाग की ओर से चलाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने शिविर की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि पंजीकरण श्रमिकों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी पर चिकित्सा उपचार के लिए 50 हजार से 5 लाख तक का चिकित्सा सहायता व पंजीकृत सदस्य की मृत्यु होने पर नाम आश्रितों को 2 लाख से 4 लाख रुपये, उनके अंतिम संस्कार के लिए 20 हजार रुपये तक की सहायता राशि का प्रावधान है। पंजीकृत कामगारों के बेटी जन्म उपहार योजना के तहत पंजीकृत कामगार की दो बेटी के जन्म पर 51 हजार रुपये की सहायता राशि का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बोर्ड की ओर से अपने पंजीकृत कामगारों के जीवन

स्पीलो और नाको में शिविर कामगारों को बताई सरकार की योजनाएं

स्तर को सरल और सुखमय बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बोर्ड अधिनियम-1996 के अनुसार वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं, जो भवन, मार्ग, सड़क, सिंचाई, जल निकासी, तट बांध, बाढ़ नियंत्रण, टेलीफोन लाइनें, संचार माध्यमों और अन्य कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है। पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में काम किया होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति और दो पासपोर्ट फोटो श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। संवाद



नाको में जागरूकता शिविर में भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ग्रामीणों को जागरूक करते हुए। संवाद

अवैध खनन करते पकड़े पोकलेन व टिपर

नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ के सहायक खनिज निरीक्षक सत्यदेव ने महादेव खड्ड में औचक निरीक्षण किया और मौके पर एक पोकलेन व टिपर को पकड़ा। उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी। पुलिस ने दोनों को जवाब कर लिया है। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद

Circle Sastra Centre, Shimla (H.P.)
CORRIGENDUM
The public in general is hereby informed that the public e-auction advertisement published in The Tribune and Amar Ujala on dated: 12.07.2024 by Punjab National Bank Circle Sastra Centre Shimla. The e-auction of property in respect of NPA/A/c Smt. Anita Verma w/o Sh. Jai Prakash mentioned at Lot No. 2, Date of Demand Notice U/S 13(2) of SARFAESI Act 2002 may be read as 01.04.2021 instead of 01.04.2024 and M/s Navrattan Jewellers mentioned at Lot No. 3, the Possession date u/s 13(4) of SARFAESI Act 2002 may be read as 12.10.2023 instead of 12.08.2023.
Other terms & conditions will remain the same.
Authorised Officer

HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION,
TENDER NOTICE
Himachal Road Transport Corporation, Shimla-3, intends to purchase 24 Nos. of Diesel Fuelled Fully Built 39 Seater Air Conditioned super Luxury Buses - Double Axle, Model 2024 conforming to the BS-VI Emission Norms. Bids are invited from national/international Bus manufacturers with manufacturing facilities in India and possessing relevant capabilities in two separate envelopes with supporting documentary evidences as provided in the Instruction to Bidder in the RFP by 30.08.2024 to Managing Director, Himachal Road Transport Corporation, at Himachal Road Transport Corporation, Head Office, Shimla-3, by 11.00 AM. The RFP Document can be downloaded from www.hrtchp.com.
Sd/-
Managing Director
HRTC, Shimla-171003